<u>14.03.2026</u>

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। वादी मय विभागीय सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में वादी की तहरीर पर प्रकरण के अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद अम्बेडकरनगर में दर्ज हुई, जिसमें विवेचक द्वारा अंतिम आख्या न्यायालय प्रेषित की गयी। वादी के विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल दिया गया कि वे विवेचक के निष्कर्ष से सहमत हैं।

वादी साक्षी अवर अभियंता ने न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर कथन किया है कि मैं उपर्युक्त मुकदमें का वादी हूं, जिसमें विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी है। अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार मामले के वादी को उक्त अंतिम आख्या के विरूद्ध कोई प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल नहीं करना है। वादी व वादी के विभाग के अधिवक्ता विवेचक के निष्कर्ष से सहमत है। उन्हें अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः न्यायहित में अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार हस्तगत मामले में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम/
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0 कोड नं0—यू0पी0 6067

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.20 15:27:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court